मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

रिट याचिका क्रमांक 62/1997

याचिकाकर्ता : : जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर जिला बस्तर
द्वारा : प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर ।

बनाम

उत्तरवादीगण :

1. द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी पिता श्री रामलखन त्रिपाठी, निवासी ग्राम अंतागढ़, जिला बस्तर
2. राजस्व मंडल मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
3. संयुक्त पंजीयक, सहकारी सोसायटी, जगदलपुर।
4. उप पंजीयक सहकारी सोसायटी, जगदलपुर।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिका

उपरोक्त याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित निवेदन किया है:–

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 62/1997

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

बनाम

द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी व अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1604/1997

द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी

बनाम

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर व एक अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

निर्णय पारित दिनांक 25.09.2006

सही/–
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 62/1997

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

बनाम

द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी व अन्य

रिट याचिका क्रमांक 1604/1997

द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी

बनाम

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर व एक अन्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थिति:

नियोक्ता बैंक की ओर से	:श्री प्रफुल्ल भरत, अधिवक्ता।
कर्मचारी की ओर से	:श्री विनय कुमार पांडे सहित श्री प्रशांत जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता।

निर्णय
(25.09.2006)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

(1) नियोक्ता बैंक और साथ ही अपचारी कर्मचारी, दोनों ने राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा एस.ए. क्र. ए/1–1/सी/789/95 में पारित आदेश दिनांक 04 नवम्बर 1996 की वैधानिकता को चुनौती दी है। उक्त आदेश द्वारा अपचारी कर्मचारी की अपील को स्वीकार करते हुए मंडल ने उसे आधे बकाया वेतन के साथ पुनः बहाल करने का निर्देश दिया है। बैंक अपील में आदेश को पलटने से व्यथित है, जबकि अपचारी कर्मचारी आदेश के उस भाग से व्यथित है जिसके द्वारा उसे केवल आधा बकाया वेतन देने का निर्देश दिया गया है।

(2) संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रबंधक, लैम्प्स आमाबेड़ा के पद पर कार्य करते समय, अपचारी कर्मचारी को निम्नलिखित तीन आरोपों के संबंध में दिनांक 03.2.1982 को आरोप पत्र दिया गया था:

1. आपने दिनांक 18–9–81 को मु० 500/– बैंक से स्टेशनरी क्रय हेतु आहरण कर लैम्प की राशि का दुरूपयोग किया ।

2. आपने दिनांक 3–10–81 को लैम्प आमाबेड़ा से सिलक राशि 1826.74 पैसा बैंक में जमा करने हेतु प्राप्त कर दिनांक 25–10–81 को मात्र 1350/– बैंक में जमा किए शेष राशि 476.74 पैसा बैंक में जमा न करके निजी उपयोग में लेकर संस्था के राशि का दुरूपयोग किये ।

3. आपने लैम्प बारसूर के कार्यकाल में श्री के०आर० तिवारी विक्रेता से एक बोरा पतला चावल 220/– एक बोरा यूरीया खाद 121.25 एवं वेतन से 60/– नगद लिये थे जिसे कुल 401.25 पैसे संस्था में जमा न करके आपने राशि का दुरूपयोग किया है।

जांच की गई और जांच अधिकारी ने कर्मचारी के विरुद्ध तीनों आरोप सिद्ध पाए। इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत उपरोक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 26.4.1983 को बरख़ास्तगी का अधिनिर्णय दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) उक्त पदच्युत किये जाने वाले आदेश से व्यथित होकर, कर्मचारी ने मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 55(2) के अंतर्गत उप पंजीयक, सहकारी समितियों के समक्ष विवाद प्रस्तुत किया। उप पंजीयक ने बैंक का लिखित कथन लेने के बाद विवाद के विभिन्न विवाद्यक विरचित किए, जिनमें निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण विवाद्यक विवाद्यक क्रमांक 2 और 3 के रूप में सम्मिलित हैं:–

"(2) क्या वादी के विरूद्ध प्रतिवादी बैंक के द्वारा सेवा संबंधी आरोप लगाये थे और ये आरोप क्या थे तथा आरोपों के बारे में जांच सेवा नियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत की गई ।

(3) क्या वादी की सेवाये प्रतिवादी बैंक द्वारा सेवा नियमों के विरूद्ध अवैधानिक रूप से समाप्त कर दी गई और क्या प्रतिवादी बैंक द्वारा इस संबंध में जारी आदेश वैध है।"

(4) तत्पश्चात, पक्षकारों को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया। अंततः, उप पंजीयक ने तीन महत्वपूर्ण निष्कर्ष दर्ज किए अर्थात, (i) विभागीय जांच नियमों के अनुसार की गई थी; (ii) कर्मचारी को विभागीय जांच में अपना बचाव करने का पूरा अवसर दिया गया था और (iii) कर्मचारी के विरुद्ध आरोप सही साबित हुए थे। विवाद को आदेश दिनांक 25.3.1992 द्वारा खारिज कर दिया गया था। कर्मचारी ने संयुक्त पजीयक के समक्ष उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की और उक्त अपील को

अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 25.8.1995 को खारिज कर दिया गया और उप पंजीयक द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई। प्रथम अपील में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित इस आदेश के विरुद्ध, कर्मचारी ने राजस्व मंडल, म.प्र., ग्वालियर के समक्ष उपरोक्त अधिनियम की धारा 77(2) के अंतर्गत द्वितीय अपील प्रस्तुत की। बोर्ड ने प्रथम अपील में संयुक्त पजीयक द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उनकी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और कर्मचारी को 50% बकाया वेतन के साथ पुतः बहाल करने का निर्देश दिया। बोर्ड द्वारा पारित इस आदेश के विरुद्ध नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ने ये रिट याचिकाएं प्रस्तुत की है।

(5) याचिकाकर्ता बैंक की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका क्रमांक 62/1997 में तर्क प्रस्तुत किया कि दूसरे अपीलीय प्राधिकरण के पास निहित अधिकार क्षेत्र धारा 77 की उपधारा (2) तक सीमित था और बोर्ड केवल उक्त आधारों पर ही द्वितीय अपील पर विचार कर सकता था और यदि बोर्ड ने धारा 77 की उपधारा (2) के प्रावधानों से परे अपना आदेश पारित किया है, तो उसे यथावत नहीं रखा जा सकता। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि बोर्ड ने बिना कोई कारण बताए दो अधीनस्थ प्राधिकरणों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्ष को पलट दिया है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(6) इसके विपरीत, कर्मचारी/याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका क्रमांक 1604/1997 में तर्क प्रस्तुत किया कि जांच के संचालन में प्रक्रियागत त्रुटि थी क्योंकि समुचित आरोप पत्र, साक्षियों के नाम, याचिकाकर्ता के विरुद्ध दस्तावेजों की सूची जिस पर भरोसा किया गया है, प्रस्तुत नहीं की गई थी, जो पूरी जांच को दूषित करती है। दूसरा , उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए और तीसरा , उनका तर्क यह था कि संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन इस न्यायालय में निहित पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया में त्रुटियों को देखने तक सीमित है और यह न्यायालय उक्त अधिनियम की धारा 77 के अधीन दूसरी अपील में राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नहीं बैठेगा। अंत में, उनका तर्क था कि राजस्व मंडल द्वारा पारित उलटफेर का आदेश न्यायसंगत और समुचित है, हालाँकि, आधा वेतन वापस देने के बजाय, मंडल को याचिकाकर्ता को पूरा वेतन वापस देना होगा।

(7) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा दोनों रिट याचिकाओं के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

8) जहां तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर दिए गए तर्कों का संबंध है, **बी.सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ और अन्य** के प्रकरण में जिसे **(1995) 6 एससीसी 749)** में प्रतिवेदित किया गया है कि न्यायालय/न्यायाधिकरण अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन

की शक्ति में साक्ष्य का पुनर्मुल्यांकन करने और साक्ष्य पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता। न्यायालय/ न्यायाधिकरण हस्तक्षेप कर सकता है जहां प्राधिकारी ने अपचारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के नियमों के साथ असंगत तरीके से या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए की हो या जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष या निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित न हो। यदि निष्कर्ष या परिणाम ऐसा हो जिस पर कोई भी युक्तियुक्त व्यक्ति कभी नहीं पहुंच सकता, तो न्यायालय या न्यायाधिकरण निष्कर्ष या परिणाम में हस्तक्षेप कर सकता है, और अनुतोष को इस तरह से ढाल सकता है कि वह उस प्रकरण के तथ्यों के लिए उपयुक्त हो।

(9) **आर.एस. सैनी बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1999) 8 एससीसी 90** में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः अभिनिर्धारित किया हैं कि न्यायालय रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, इस आधार पर जांच अधिकारी के निष्कर्ष को पलट नहीं सकता कि उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य अपर्याप्त हैं। यदि जांच अधिकारी के निष्कर्ष का युक्तियुक्त समर्थन करने के लिए कुछ साक्ष्य हैं, तो साक्ष्य का पुनर्विलोकन करना और अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचना न्यायालय का कार्य नहीं है। जांच अधिकारी ही तथ्य का एकमात्र न्यायाधीश है, जब तक कि निष्कर्ष को प्रमाणित करने के लिए कुछ विधिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। साक्ष्य की पर्याप्तता या विश्वसनीयता ऐसा प्रकरण नहीं है, जिस पर रिट कार्यवाही में न्यायालय के समक्ष संयाचना किया जा सके। उक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखा कि आरोपों का वर्णन और आरोपों को स्वीकार करने के लिए जांच अधिकारी के कारण, जैसा कि अभिलेखों से देखा जा सकता है, यह दर्शाता है कि जांच अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बचाव पर विचार करने के बाद उपलब्ध अभिलेखों पर अपने निष्कर्ष आधारित किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये निर्णय युक्तियुक्त तरीके से और निष्पक्ष रूप से लिए गए थे और जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को न तो विकृत कहा जा सकता है और न ही किसी सामग्री पर आधारित कहा जा सकता है और न ही यह ऐसा प्रकरण है जिसमें जांच अधिकारी की ओर से कोई विवेक का प्रयोग नहीं किया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध सीमित दायरे में उन सामग्रियों पर गौर किया है जिनके आधार पर जांच अधिकारी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और इस संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती।

इन दो निर्णयों का संदर्भ देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **ललित पोपली बनाम केनरा बैंक और अन्य (2003) 3 एससीसी 583** के प्रकरण में पुनः अभिनिर्धारित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है। इसका अधिकार क्षेत्र विधिक त्रुटियों या प्रक्रियात्मक त्रुटियों को ठीक करने के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमाओं से घिरा हुआ है, जिससे स्पष्ट अन्याय या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उल्लंघन होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन अपीलीय प्राधिकारी के रूप में प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेने के समान नहीं है।

(10) पुनः **डिवीजनल कंट्रोलर, केएसआरटीसी (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) बनाम ए.टी. माने (2005) 3 एससीसी 254** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक बार जब साक्ष्य के आधार पर घरेलू न्यायाधिकरण किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, तो सामान्यतः अपीलीय न्यायाधिकरणों और न्यायालयों के लिए घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राय के स्थान पर अपनी व्यक्तिपरक राय को प्रतिस्थापित करना संभव नहीं होता है।

(11) जहां तक अनुच्छेद 227 का संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय ने भाडा नियंत्रण अधिनियम से संबंधित प्रकरण से निपटते हुए लक्ष्मीकांत रेवचंद भोजवानी एवं एक अन्य बनाम प्रतापसिंह मोहनसिंह परदेशी, (मृत, अपने उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों के द्वारा), (1995) 6 एससीसी 576 में अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार का विस्तार करना उचित नहीं था क्योंकि भाडा अधिनियम का उक्त अधिनियम भू–स्वामी और किरायेदार के संबंध और विवादों को नियंत्रित करने वाला एक विशेष विधान था। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधायिका ने अपने विवेक से उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील या पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं किया है। इसका उद्देश्य अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय को अंतिम रूप देना है। उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन सभी प्रकार की कठिनाई या गलत निर्णयों को सुधारने के लिए असीमित परमाधिकार नहीं मान सकता है। इसे कर्तव्य की गंभीर उपेक्षा तथा विधि या न्याय के मूल सिद्धांतों के घोर दुरुपयोग के प्रकरणों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, जहां उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना घोर अन्याय होगा।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) वर्तमान प्रकरण में, जांच अधिकारी ने कर्मचारी के विरुद्ध सभी 3 आरोपों को सिद्ध पाया और अपना प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी को सौंप दी। इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 26.04.1983 को सेवा से पदच्युत किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश को रिट याचिका क्रमांक 62/1997 में अनुलग्नक पी–3 के रूप में दर्ज किया गया है। उक्त आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि सक्षम प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के समक्ष रखे गए सभी साक्ष्यों का अध्ययन किया है और उन्होंने निष्पक्ष तरीके से, जांच के दौरान प्रस्तुत की गई सामग्रियों पर भरोसा करते हुए, जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए तर्कसंगत निष्कर्षों की पुष्टि की है। बरख़ास्तगी का आक्षेपित आदेश अभिलेख पर युक्तियुक्त साक्ष्यों पर आधारित प्रतीत होता है और जांच अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समवर्ती रूप से निकाले गए निष्कर्ष में कोई दोष नहीं है। जहां तक आरोप क्रमांक 1 का संबंध है, बैंक के अभिलेखों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने पाया कि 500/– रुपये का अग्रिम प्राप्त करने के लिए कर्मचारी द्वारा कोई

आवेदन नहीं दिया गया था और न ही कोई मंजूरी प्राप्त की गई थी और कोटेशन आदि मांगे बिना ही खरीदारी की गई थी, और बचाव लेने के लिए अपनी कार्यवाही को उचित ठहराने के लिए, वह संबंधित पुस्तक में कार्यवृत्त/संकल्प में पूर्व–दिनांकित प्रस्ताव दर्ज कराने में कामयाब रहा। उसके द्वारा प्रस्तुत क्रय बिल आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, जगदलपुर के नाम पर था (संबंधित समिति के नाम पर नहीं)। क्रय की गई वस्तुओं के संबंध में स्टॉक रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। वास्तव में, यह निष्कर्ष दर्ज किया गया कि कर्मचारी द्वारा संबंधित संकल्प/कार्यवृत्त की पुस्तक में पूर्व–दिनांकित प्रविष्टि करने के बाद 429/– रुपये की राशि के कूटरचित बिल का प्रबंधन किया गया था। जहां तक आरोप क्रमांक 2 का प्रश्न है, साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित हुआ कि कर्मचारी ने दिनांक 03.10.1981 को 1,826.74 रुपये की राशि प्राप्त की थी जिसे बैंक में जमा किया जाना था। हालांकि, दिनांक 05.10.1981 को उसके द्वारा केवल 1350 रुपये ही जमा किए गए और इस तरह से उसने 476.74 रुपये कम जमा किए और उसके द्वारा कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यह निष्कर्ष भी जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है। इसी तरह, सेल्समैन कृपा राम से एक बैग चावल और कुछ राशि प्राप्त करने के संबंध में तीसरा आरोप भी जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सिद्ध माना गया है। इस आदेश के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि कर्मचारी को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था और उसे उसके द्वारा मांगे गए अभिलेखों का निरीक्षण करने का अवसर भी दिया गया था। यह सब यह दर्शाता है कि घरेलू जांच में दर्ज निष्कर्ष अभिलेख पर सुसंगत साक्ष्य पर आधारित था और कर्मचारी को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद सामान्य तरीके से जांच की गई थी। चूंकि कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित इस आदेश से असंतुष्ट था, जैसा कि ऊपर कहा गया है, उसने उक्त अधिनियम की धारा 55(2) के अधीन एक विवाद दायर किया और उस विवाद में भी, उठाए गए आधारों से संबंधित दो महत्वपूर्ण विचाद्यक (पूर्वोक्त) विरचित किए गए और उसके बाद, उप पंजीयक ने इन दो विवाद्यकों के विरुद्ध निष्कर्ष दर्ज किया कि विभागीय जांच नियमों के अनुसार की गई थी और कर्मचारी को विभागीय जांच में स्वयं का बचाव करने का पूरा अवसर दिया गया था और कर्मचारी के विरुद्ध आरोप सही सिद्ध हुए थे। प्रथम अपील से, अपीलीय प्राधिकारी ने भी उप पंजीयक द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की, जिसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 77(2) के अधीन द्वितीय अपील दायर की गई और उक्त द्वितीय अपील में, आदेश को अपास्त किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

77. अपील:–

(1) XXX XXX XXX

(2) रजिस्ट्रार, उप–रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा प्रथम अपील में पारित किसी आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष द्वितीय अपील निम्नलिखित आधारों में से किसी पर, अन्य किसी आधार पर नहीं, की जा सकेगी, अर्थात्:–

(i) कि आदेश विधि के विपरीत है; या

(ii) कि आदेश विधि के किसी तात्विक विवाद्यक को निर्धारित करने में विफल रहा है; या

(iii) कि इस अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के पालन में कोई सारवान त्रुटि या दोष हुई है, जिसके कारण मामले के गुण–दोष के आधार पर निर्णय में त्रुटि या दोष उत्पन्न हो गई हो।

इस उपधारा के अवलोकन से यह पता चलता है कि प्रथम अपील में पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील तभी की जा सकती है, जब अपीलार्थी के पास उक्त तीनों में से कोई भी आधार उपलब्ध हो। उपधारा (2) के मुख्य प्रावधान में "और अन्य कोई नहीं" जैसे शब्दों को रखने से विधानमंडल का आशय स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बहुत सीमित दायरे में, प्रकरण को द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निराकरण किया जाना है और ऐसी द्वितीय अपीलों पर विचार करते समय, प्राधिकारी को उक्त सीमित आधारों पर ध्यान देना चाहिए और आदेश में यह दर्शाया जाना चाहिए कि इनमें से कौन से आधार विद्यमान पाए गए, जिनके आधार पर प्रथम अपील में पारित आदेश को पलट दिया जाना चाहिए या अपास्त किया जाना चाहिए। जहां तक अनुच्छेद 227 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मीकांत रेवचंद भोजवानी (पूर्वोक्त) के प्रकरण में कहा है कि सामान्यतः ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का विस्तार करने में न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के निर्णयों को अंतिमता प्रदान करना है, लेकिन जब आदेश कर्तव्य की घोर उपेक्षा और विधि या न्याय के मूल सिद्धांतों के घोर दुरुपयोग की श्रेणी में आता है, तो प्रकरण पर विचार किया जा सकता है। आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी (मंडल) ने आक्षेपित आदेश के कंडिका 5 के अनुसार, द्वितीय अपील पर विचार करने के लिए स्वीकार्य आधारों को छोड़कर, बिना कोई कारण बताए आदेश को पलट दिया और केवल यह कहा कि " प्रकरण यह था कि कर्मचारी द्वारा कुछ अग्रिम राशि ली गई थी, जिसमें से उसने कुछ राशि का लेखा–जोखा प्रस्तुत किया था और शेष राशि का भुगतान उसने बैंक में किया था और गबन सिद्ध नहीं हुआ"। इस उलट निष्कर्ष को कैसे दर्ज किया गया है? इस तरह के उलटे निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए कोई कारण नहीं बताए गए हैं। इसने यह भी आधार लिया है कि बैंक ने 1270.74 रुपये जमा करने के लिए एक पत्र लिखा है और बैंक के पत्र पर, उक्त राशि जो कि बकाया राशि थी, कर्मचारी द्वारा जमा कर दी गई थी, इसलिए, बैंक पर कर्मचारी को सेवा में बहाल करने का दायित्व था। मैं यह कहने के लिए विवश हूँ कि यह सब अधिनियम की धारा 77 की उप–धारा (2) के प्रावधानों के संबंध में असंगत है

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

क्योंकि इस उप–धारा के अधीन दिए गए किसी भी आधार को इस प्रकरण में मौजूद नहीं पाया गया और घरेलू जांच में और साथ ही घरेलू न्यायाधिकरण और उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के विरुद्ध कोई कारण दर्ज किए बिना उलटा आदेश पारित किया गया है। इस न्यायालय की राय में, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश उक्त अधिनियम की धारा 77(2) के प्रावधानों के पूर्णतया विरुद्ध है, इस उपधारा में दिए गए कोई भी आधार उपलब्ध नहीं थे तथा यह आदेश कर्तव्य की घोर उपेक्षा में पारित किया गया था तथा इस घोर अन्याय को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन इसे सुधारा जा सकता है तथा मैं इसे तदनुसार अभिनिर्धारित करता हूं।

(13) कर्मचारी/याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1604/1997 में उठाया गया अगला मुद्दा जांच के संचालन में प्रक्रियागत दोष से संबंधित है, क्योंकि उनके अनुसार, साक्षियों के नाम, जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है उनकी सूची आदि दिखाने वाला समुचित आरोप पत्र याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया, जिससे पूरी जांच दूषित हुई है। निःसंदेह, यह जांच उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की गई थी, जो दिनांक 01.4.1977 को लागू हुई थी। नियमों के अध्याय II में अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। नियम 45(1) में "गम्भीर कदाचार" शब्द का वर्णन किया गया है। नियम 46(1) में प्रावधान है कि गम्भीर कदाचार का दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी को बैंक या ग्राहकों को उसके द्वारा पहुँचाई गई वास्तविक हानि या क्षति की वसूली के अलावा, उसके अन्तर्गत उल्लिखित कोई भी दण्ड दिया जा सकता है। नियम 46 के उप–नियम (1) के खण्ड (घ) में गम्भीर कदाचार के लिए दण्ड के रूप में पदच्युत करने, या निष्कासन या सेवामुक्ति का प्रावधान है। नियम 47(2) में जाँच के तरीके का प्रावधान है। इस उप–नियम के खण्ड (क) में प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अन्य अधिकारी कर्मचारी को गम्भीर कदाचार के लिए प्रपत्र (ग) में तथा साधारण कदाचार के लिए प्रपत्र (घ) में आरोप–पत्र देगा, जिसमें आरोपित कदाचार तथा उसके विरुद्ध उपस्थित परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख होगा तथा उसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। नियमों के साथ प्रपत्र "ग" भी संलग्न है। इस प्रपत्र में साक्षियों के नाम, विनिर्देशों सहित जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है उनकी सूची आदि का उल्लेख करने जैसा कुछ नहीं है। यदि हम याचिकाकर्ता को दिए गए आरोप–पत्र (रिट याचिका क्रमांक 62/1997 में अनुलग्नक–पी/1) का अवलोकन करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह नियम 47 के उप–नियम (2) के संदर्भ में नियमों से संलग्न प्रपत्र "ग" के अनुसार है। इसलिए, यह तर्क कि युक्तियुक्त आरोप–पत्र नहीं दिया गया और इस आधार पर पूरी जांच दूषित साबित हुई, यथावत नहीं रखा जा सकता।

(14) कर्मचारी/याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह था कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए। निर्णय के कंडिका–12 में की गई विस्तृत चर्चा को ध्यान में रखते हुए

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इसे यथावत नहीं रखा जा सकता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, घरेलू जांच में पारित आदेशों और उसके बाद घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप सिद्ध हुए थे और निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध सुसंगत साक्ष्य पर आधारित थे। उक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(15) अंतिम तर्क याचिकाकर्ता को पूरा बकाया वेतन दिए जाने के विषय में था। मेरे द्वारा व्यक्त की गई राय के आलोक में, जिस पर मैं मंडल द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने जा रहा हूँ, इस तर्क पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिट याचिका क्रमांक 1604/1997 में कोई अनुतोष नहीं दी जा सकती।

(16) उपर्युक्त कारणों से, विशेष रूप से निर्णय के कंडिका–12 में उल्लेखित कारणों से, रिट याचिका क्रमांक 62/1997 को स्वीकार किया जाता है। राजस्व मंडल द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 04.11.1996 (रिट याचिका क्रमांक 62/1997 में अनुलग्नक–पी/6) को निरस्त किया जाता है। आदेश दिनांक 4.11.96 में संशोधन के लिए प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 1604/1997 को खारिज किया जाता है। वाद व्यय के विषय में कोई आदेश नहीं दिया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .... Kumudini Tirkey, Advocate